



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' नियर आई0एस0बी0टी0,
माजरा, देहरादून फोन-0135-2641119 फैक्स-2643755

मुद्रण हेतु निविदा की शर्तें एवं प्रपत्र

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा यूजेवीएन लि0 (UJVN Ltd.) के वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रस्तावित टैरिफ आदेश के मुद्रण हेतु अनुभवी एवं प्रतिष्ठित मुद्रण प्रेसों से मोहर बन्द निविदायें निर्धारित प्रपत्र में विलम्बत् दिनांक 27.04.2015 के अपराह्न 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि उसी दिन साय: 04.00 बजे खोले जाएंगे। उक्त टैरिफ आदेश के प्रकाशन से सम्बन्धित सूचनाएं निम्नवत् है।

कम्पनी	पृष्ठों की अनुमानित संख्या	मुद्रण प्रति की अनुमानित संख्या	धरोहर धनराशि रू0
UJVN Ltd.	112	300	2000.00

आयोग कार्यालय में उक्त मोहर बन्द निविदाये दो भागों में निम्नवत् जमा की जायेगी।

भाग-1: इस लिफाफे में निविदादाता द्वारा निम्न विवरण आदि प्रेषित किया जायेगा।

1. निविदा धरोहर राशि शिड्यूल बैंक की एफ.डी.आर/ सी.डी.आर के रूप में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून के पक्ष में बंधक होनी चाहिए।
2. निविदादाता का व्यापार कर /वैट में पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
3. पेपर एवं आर्ट कार्ड का सैंपल, जिस पर मुद्रण किया जाना है, को संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
4. इस लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में प्रथम भाग "धरोहर राशि" लिखा जायेगा।

भाग-2:

1. इस लिफाफे में केवल दरें होगी जो आयोग द्वारा निर्धारित संलग्न निविदा प्रपत्र पर ही निविदादाता द्वारा प्रेषित की जायेगी। किसी अन्य प्रपत्र पर प्रेषित दरें आयोग द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. इस लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से द्वितीय भाग "मुद्रण सामग्री हेतु दरें- UJVN Ltd." लिखा जायेगा।

कार्य की विशिष्टिकरण

1. अभिलेख 100 जी0एस0एम0 के सैंचुरी मेक मैपलिथो पेपर (साईज 8 ½' x 11') पर दोनों ओर आफसेट पद्धति द्वारा मुद्रित किया जायेगा।
2. कवर पृष्ठ का मुद्रण 220 जी0एस0एम0 नीविया मेक आर्ट कार्ड पर मल्टी कलर आयोग द्वारा अनुमोदित डिजाइन एवं प्रिंट किया जायेगा।
3. अभिलेख की बाइंडिंग "परफैक्ट जूज (JUZZ)बाइंडिंग" प्रणाली से की जायेगी।
4. पृष्ठ की संख्या अनुमानित है और सैटिंग के फलस्वरूप इसमें प्लस-माइनस (04 पृष्ठ) का मान्य अन्तर हो सकता है। इससे अधिक/कम होने पर भुगतान समायोजन संभव है।
5. अभिलेख एम0एस0 वर्ड फारमैट (MS word) में सी.डी. पर आदेश के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

कार्य की अवधि

6. आदेश प्राप्ति के 1 सप्ताह के भीतर प्रिंट प्रूफ अनुमोदन हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
7. प्रिंट प्रूफ अनुमोदित होने के 1 सप्ताह के भीतर आदेशित की गई पूर्ण प्रतियाँ आपूर्ति आदेश के अनुसार मुद्रित कर उपलब्ध करानी होगी।

सामान्य शर्तें

8. निविदा के भाग-1 एवं भाग-2 एक अन्य लिफाफे में बन्द करके आयोग कार्यालय में दिनांक 27.04.2015 के अपरान्ह 03.00 बजे जमा की जाएगी, जो उसी दिन साय: 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेगी। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "मुद्रण सामग्री हेतु दरें- UJVN Ltd." लिखा गया हो।
9. निविदा मुहरबन्द लिफाफे में होनी चाहिये एवं उन पर सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, 'विद्युत नियामक भवन', नियर आइएसबीटी, माजरा, देहरादून के पते पर प्रेषित होनी चाहिये।
10. निर्धारित तिथि/समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
11. निविदा के भाग-1 के खोले जाने एवं उचित पाये जाने पर ही निविदादाता की निविदा के भाग-2 को खोला जायेगा।
12. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी की निर्धारित धनराशि एफडीआर/सीडीआर के रूप में, जो कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में बंधक की गयी हो, संलग्न की जानी होगी। उपरोक्त अर्नेस्ट मनी की धनराशि को निविदा के निर्णय के उपरान्त (सफल निविदादाता की धनराशि छोड़कर) असफल निविदादाताओं को 15 दिवस के भीतर वापस कर दिया जाएगा। आपूर्तिकर्ता की जमानत राशि को सन्तोषजनक आपूर्ति के पश्चात् वापस कर दिया जाएगा।
13. अभिलेख के मुद्रण एवं प्रकाशन के सर्वाधिकार उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पास सुरक्षित रहेंगे।
14. निविदा के साथ पेपर एवं आर्ट कार्ड सैम्पल जिस पर मुद्रण होना है, संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
15. पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या 04 पृष्ठ के प्लस-माइनस के अन्तर से अधिक/कम होती है तो अतिरिक्त पृष्ठ की मुद्रण दर भी प्रति पृष्ठ भुगतान/समायोजन हेतु अलग से उल्लेखित की जाए।
16. आपूर्तिकर्ता अभिलेखों के मुद्रण एवं आपूर्ति को सन्तोषजनक एवं आपूर्ति आदेश में इंगित विशिष्टिकरण की शर्तों के अनुरूप आपूर्ति करने में असफल रहता है, उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा।
17. अभिलेख के मुद्रण सैम्पल पेपर के अनुसार नहीं पाया जाता है, तो मुद्रण सामग्री को अस्वीकार किए जाने अथवा बिल में आवश्यक कटौती किए जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
18. आपूर्ति की मात्रा में कमी या वृद्धि 10%(दस प्रतिशत) हो सकती है।
19. बिना कोई कारण बताये एक या समस्त निविदाओं को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग को होगा।
20. निविदादाता मुद्रण सामग्री की अपनी दरें निर्धारित निविदा प्रपत्र पर अंकित करें तथा निविदा प्रपत्र पर फर्म की मुहर के साथ हस्ताक्षर करें। किसी अन्य प्रपत्र पर प्रेषित दरें स्वीकार नहीं की जाएगी।
21. निविदा एवं आपूर्ति से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद के निस्तारण हेतु जिला न्यायालय, देहरादून का क्षेत्राधिकार मान्य होगा।

संलग्न: निविदा प्रपत्र।

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन', नियर आई0एस0बी0टी0,
माजरा, देहरादून फोन-0135-2641119 फैक्स-2641314
Website www.uerc.gov.in

निविदा प्रपत्र-UJVN Ltd.

मूल्य अनुसूची

1. फर्म का नाम एवं पता :

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	प्रति कापी दर	कुल व्यय
अ	आयोग द्वारा प्रदत्त अभिलेख का मुद्रण (पेपर का साईज 8 ½' x 11') परफैक्ट जूज (JUZZ)बाइडिंग सहित 112 पृष्ठ (04 पृष्ठ के प्लस-माइनस का अन्तर मानते हुए) 100 जी0एस0एम0 के सैचुरी मेक मैपलिथो पेपर पर तथा मुख्य पृष्ठ 220 जी0एस0एम0 नीविया मेक आर्ट कार्ड पेपर पर (मल्टी कलर में डिजाइन व प्रिंट) आयोग द्वारा अनुमोदित मुद्रण के आधार पर।			
1	अभिलेख मुद्रण कार्य मय परफैक्ट जूज (JUZZ)बाइडिंग प्रति कापी दर :-	250 प्रतियाँ		
2	अभिलेख मुद्रण कार्य मय परफैक्ट जूज (JUZZ)बाइडिंग प्रति कापी दर :-	300 प्रतियाँ		
3	अभिलेख मुद्रण कार्य मय परफैक्ट जूज (JUZZ)बाइडिंग प्रति कापी दर :-	350 प्रतियाँ		
ब	04 पृष्ठ के प्लस-माइनस के अन्तर से अधिक/कम पृष्ठ होने पर भुगतान/समायोजन हेतु प्रति पृष्ठ के मुद्रण की दर :-			

निविदा की समस्त शर्तें मान्य हैं।

हस्ताक्षर
(निविदादाता का नाम)
एवं
फर्म की मोहर/सील